



RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: 4th FLOOR, NEHRU SAHKAR BHAWAN, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302006
GST NO:08AAACR8906R1ZN



NIB. NO: RSGSM/HO/Store/2020-21/ 33694

Dated, 11.01.2021

12

सीमित निविदा सूचना

संस्थान के मुख्यालय, जयपुर में साफ-सफाई कार्य के लिए एक वर्ष हेतु सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। अतः इच्छुक सेवाप्रदाता/ व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर दिनांक 20.01.2021 तक साफ-सफाई कार्य आंकलन हेतु परिसर का अवलोकन किया जा सकता है तथा दिनांक 21.01.2021 को अपराह्न 3.00 बजे तक संस्थान के मुख्यालय, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर में सीलबन्द निविदायें दरों सहित प्रस्तुत की जा सकती हैं।


उप-महाप्रबन्धक (क्रय)

राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि., जयपुर



RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: 4th FLOOR, NEHRU SAHKAR BHAWAN, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302006
GST NO:08AAACR8906R1ZN



मुख्यालय, जयपुर में साफ-सफाई हेतु शर्तों का विवरण

01. प्रधान कार्यालय भवन प्रतिदिन पूर्ण सफाई कर दोनो समय पोंछ लगाया जाना होगा। सुबह सफाई व पोंछ 9.30 बजे तक करना होगा व दोपहर में 2.30 बजे तक।
02. कमरों की दीवारों की साफ, सफाई जाले आदि की सफाई पूरी तरह करनी होगी।
03. दरवाजों, खिडकियों के काँच प्रतिदिन साफ करने होंगे एवं खिडकियों पर बीट आदि की सफाई प्रतिदिन करनी होगी।
04. बाथरूम की सफाई व धुलाई प्रतिदिन दो बार करनी होगी तथा यूरिनल में कपूर गोली/ मेट्रोपोल टिकिया प्रतिदिन रखनी होगी।
05. अलमारियों/ टेबिलों कुर्सियों की डस्टिंग व सफाई का कार्य करना होगा एवं समय-समय पर सफाई के लिए बताये अनुसार कार्य को पूर्ण करना होगा।
06. कार्यालय समय में आपका एक कार्मिक कार्यालय में प्रात 9.00 बजे से सांय 6.30 तक उपलब्ध रखना होगा। जिसका नाम व पता संस्थान में सूचित करना होगा।
07. कार्यालय परिसर में लगी छत की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी तथा आफिस का कचरा प्रतिदिन नीचे कुडेदान में डालना होगा।
08. सफाई के उपरान्त गैलेरी में अगरबत्ती लगानी होगी।
09. अधिकारियों के कमरों प्रतिदिन निर्देशानुसार रूम स्प्रे करना होगा।
10. सफाई कार्य हेतु श्रमिक की व्यवस्था आपको स्वयं को करनी होगी व उस पर होने वाले समस्त व्यय की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यकर्ता की सुरक्षा तथा दुर्घटना की समस्त रिस्क एवं कॉस्ट तथा जवाबदेही सफल निविदादाता की होगी।
11. नियमानुसार पी.एफ./जी.एस.टी. एवं अन्य राजकीय कर आप द्वारा वहन किये जायेंगे।
12. जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत यदि सेवा प्रदाता द्वारा बिल में जीएसटी अलग से नहीं लगाया जाता है, तो सेवा प्राप्त कर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज में जीएसटी स्वयं वहन कर नियमानुसार जमा कराया जावेगा।
13. धरोहर राशि कुल निविदा राशि में से 2.5 प्रतिशत एवं अमानत राशि के रूप में सौ रुपये के स्टाम्प पर बिड सिक्यूरिटी डिपोजिट जमा करानी होगा।
14. कार्यालय में लगे पंखों की सफाई एवं ए.सी. की डस्टिंग माह में एक बार आवश्यक रूप से करनी होगी।
15. ठेकेदार के कार्मिक के अनुपस्थित रहने पर प्रतिदिन रु. 1000/- (एक हजार मात्र) के हिसाब से आपसे राशि वसूल की जावेगी तथा बीच में कार्य छोड जाने या संविदा शर्तों अनुसार कार्य सम्पन्न नहीं किये जाने पर आपकी जमा धरोहर राशि को जब्त कर यह संविदा निरस्त मानी जावेगी।

(एनेक्सचर- 1)

Chit
12/11/21

PHONES: DIC-2740886; GM-2740068; FA-2740541; DGM(P&S)-2741085; Co. Secy.-2741956; DGM(Pur.)-2740841;
DGM(A&P)-2744474; IT Cell-2740475; FAX:0141-2740676; EPBX:2740040

E-mail: gmh@rajasthan.gov.in

E:\Surendra Work\letter format New-2.docxPage 345 of 346